न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 70 / 2012 / बाड़मेर

अपीलान्ट

1. नुरदीन पुत्र बुरान
2. गोरखा पुत्र बुरान
3. खानु पुत्र बुरान
4. सुहीदी बेवा बुरान
5. सुमार पुत्र ईसाक
6. आलमा पत्नी इसाक जाति मुसलमान निवासी बलाऊ जिला बाड़मेर।

—बनाम—

रेस्पोडेण्ट :

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व वाद सं. 92 / 2008 अनवान वादीगण नुरदीन वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2011।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र रामावत अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्तागण के पूर्वज स्वर्गीय बुरान पुत्र खानु जाति मुसलमान निवासी बलाऊ के नाम से निम्न खातेदारी के खेत मौजा ग्राम द्राभा तहसील शिव खसरा संख्या 882 रकबा 34.04 बीघा, खसरा संख्या 2134 रकबा 56.19 बीघा, खसरा संख्या 2976 रकबा 74.02 बीघा एवं ग्राम बलाऊ तहसील बाडमेर में खसरा संख्या 93 रकबा 203.02 बीघा आई हुई है। ग्राम द्राभा के खेत खसरा संख्या 2976 जो बुरान व अन्य सहखातेदारो के नाम से दर्ज था उसका भी नामान्तकरण बुरान के विधिक उतराधिकारीगण वादीगण / अपीलकर्तागण के नाम से भरा गया। मौजा द्राभा तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 882 व 2134 जो बुरान के नाम से खातेदारी में दर्ज थे जिसका नामान्तकरण बुरान की मृत्यु होने पर बुरान के विधिक उतराधिकारी के नाम से भरा जाना चाहिये था लेकिन पटवारी हल्का द्राभा द्वारा गलत रूप से बुरान को पाक जाना मानकर उक्त दोनों खेत खालसा कर दिये गये। बुरान अपने जीवनकाल में कभी भी पाक नहीं गया तथा उसका देहान्त ग्राम बलाऊ में हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभिलिखित किया है कि वादीगण का दिनांक 18.11.1976 से लगातार कब्जा व काश्त चला आना बताया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा वादीगण/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्तागण के पूर्वज स्वर्गीय बुरान पुत्र खानु जाति मुसलमान निवासी बलाऊ के नाम से निम्न खातेदारी के खेत मौजा ग्राम द्राभा तहसील शिव खसरा संख्या 882 रकबा 34.04 बीघा, खसरा संख्या 2134 रकबा 56.19 बीघा, खसरा संख्या 2976 रकबा 74.02 बीघा एवं ग्राम बलाऊ तहसील बाडमेर में खसरा संख्या 93 रकबा 203.02 बीघा आई हुई है। ग्राम द्राभा के खेत खसरा संख्या 2976 जो बुरान व अन्य सहखातेदारो के नाम से दर्ज था उसका भी नामान्तकरण बुरान के विधिक उतराधिकारीगण वादीगण/अपीलकर्तागण के नाम से भरा गया। मौजा द्राभा तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 882 व 2134 जो बुरान के नाम से खातेदारी में दर्ज थे जिसका नामान्तकरण बुरान की मृत्यु होने पर बुरान के विधिक उतराधिकारी के नाम से भरा जाना चाहिये था लेकिन पटवारी हल्का द्राभा द्वारा गलत रूप से बुरान को पाक जाना मानकर उक्त दोनों खेत खालसा कर दिये गये। बुरान अपने जीवनकाल में कभी भी पाक नहीं गया तथा उसका देहान्त ग्राम बलाऊ में हुआ था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम तक नहीं की है और न ही वादीगण/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट अपनी भूमि का पूर्ण रूप से परित्याग कर अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया था जिससे उक्त भूमि का राज्य सरकार के खाते में खालसा की गई। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में भी स्पष्ट किया गया कि "मौजा द्राभा के खेत खसरा संख्या 2976 रकबा 74.02 बीघा भूमि बुरान पुत्र कालू का 1/4 हिस्सा की भूमि धारा 63(1)(8) के तहत खालसा दिनांक 29.07.1975 को हुई या नहीं हुई, जिसकी भी जांच आवश्यक है और बाद में वादीगण के नाम बुरान की फौतगी पर नामांतकरण किसी आधार पर खोला गया है। तहसीलदार शिव इस बाबत अपने स्तर से जांच कराके विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही करे।" तहसीलदार शिव द्वारा क्या कार्यवाही की गई अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व वाद सं. 92/2008 अनवान वादीगण नुरदीन वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2011 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2011 को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शिव द्वारा जांच करवा कर अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

08/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

08/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner